

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक: प.5(3)वित्त/बीमा/2022


जयपुर, दिनांक : 8/4/25

आदेश

प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के आदेश क्रमांक प.5(3)वित्त/बीमा/2022 दिनांक 07.03.2024 एवं समसंख्यक संशोधित आदेश दिनांक 06.06.2024 की निरन्तरता में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की अवधि दिनांक 07.03.2025 से 31.03.2026 तक बढ़ाई जाती है।

योजना के समस्त प्रावधान पूर्ववत् ही रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(नदीन जैन)

शासन सचिव, वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, वित्त
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय/राज्य मंत्री महोदय।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी, जयपुर।
12. निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान जयपुर।
14. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
15. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. विधि रचना संस्थान, राजस्थान जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग
18. रक्षित पत्रावली।



(धनलाल शेरवत) 8/4/25
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।



(धनलाल शोरावत) 8/4/25

संयुक्त शासन सचिव